न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

पंचायत निगरानी सं 10/2017

<u>प्रार्थी</u>

1. जयदेव सिंह पुत्र भैरूदान
2. विजयसिंह पुत्र जसकरण जाति चारण निवासीगण मोगड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. झमकू देवी पत्नी गुणेशराम जाति जाट निवासी मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां समिति लूणी जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित आदेश 303 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 पट्टा सं 98 ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा दिनांक 22.09.2014 को जारी किया गया के विरूद्ध।

<u>उपस्थिति</u>

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गिरधरसिंह भाटी।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति।

<u>निर्णय</u> दिनांक 26.03.2018

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित आदेश 303 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1996 पट्टा सं 98 ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा दिनांक 22.09.14 को जारी किया गया। को निरस्तर करवाने हेतु प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा न0 180, 192, 295, 145, 148, 200, 271, 273, 142, 275 कुल खसरा दस रकबा 803.06 बीघा आयी हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी बन्दोबस्त सं 60, संवत् 2011 से 2031 तथा जमाबन्दी सं 34 संवत् 2017–2020 एवं जमाबंदी संख्या 35 संवत् 2021–2024 तक की जमाबन्दियों से प्रभावित है। उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के पूर्व से प्रार्थी तथा अन्य खातेदारों के पूर्वजों का तथा अब प्रार्थी तथा अन्य खातेदारों का अधिवास है, कब्जा है।

उक्त भूमि को अतिरिक्त जिलाधीश जोधपुर ने दिनांक 09 मार्च 1962 को जरिये मुकदमा सं 11/61 उक्त भूमि गोचर घोषित कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील सं 33/94 आदेश दिनांक 06.06.1995 अपील स्वीकार कर ली आदेश दिनांक 09.03.1962 के आदेश को निरस्त कर दिया। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं एक को सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां ने 300 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं एक की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त कर वकुलाय फरिकेन की बहस दिनांक 13.03.2018 को सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनांक 26.03.2018 को रखी हुई।

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक श्री भाटी ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा बताकर बिना प्रक्रिया अपनाये बिना किसी कानूनी कार्यवाही किये पट्टा आवेदन तथा दस्तावेज में कांट–छांट करते हुए फर्जी तरीके से पट्टा दिया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत पूर्णरूप से गलत नियमों के विपरित अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्धी के लिये पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक का यह कथन कि ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां ने पट्टा जारी करने से पूर्व पुराने कब्जे व वर्तमान कब्जे बाबत् किसी प्रकार की जांच नहीं की मौके पर अप्रार्थी का कब्जा भी नहीं है। पुराने कब्जे बाबत् किसी प्रकार के दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी सं एक के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व अध्याय नौ पंचायत राज अधिनियम में वर्णित अन्य नियम जैसे 142, 145, 146, 147, 148 की पालना भी नहीं की गयी है। उक्त जारी पट्टे की जानकारी दिनांक 26.04.2017 को ही हुई । इससे पट्टा जारी की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 98 दिनांक 22.09.14 जो विधि विरूद्ध होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं एक विद्ववान अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी मौखिक/लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी की ओर अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टे को निरस्त करवाने हेतु निगरानी पेश की है। प्रार्थी का उपरोक्त खसरे की भूमि एवं पट्टे की भूमि किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है कानूनी रूप से धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत हितबद्ध व्यक्ति निगरानी पेश कर

सकता है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि ग्राम मोगड़ा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 148 की भूमि है। जो राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के अधीन आबादी भूमि है जिसकी जमाबन्दी संवत् 2070–2073 से इसकी पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं नियमानुसार जारी किया गया जिस बाबत् प्रार्थी को ऐतराज करने का कोई ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं एक के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया। अप्रार्थी को अपने कब्जासुदा रहवासिया मकान का पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी का रहवासिया मकान बना हुआ है। अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। बिजली–पानी के कनेक्शन अप्रार्थी के नाम से लिये हुए है। अप्रार्थी जिस नाम एवं पडौस की जायदाद पर काबिज है ग्राम पंचायत ने उसी भू–भाग का पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगरानी पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी सं एक के वकील ने अपनी मौखिक/लिखित बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन किया जिसपर ग्राम पंचायत ने पंचो की कमेटी गठित की। कमेटी की रिपोर्ट संलग्न की पंचो की कमेटी की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी सं एक की जारी पट्टे की भूमि के नाम एवं पड़ौस एक समान है। उक्त बाबत् सार्वजनिक तौर पर आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने पर बयान दर्ज किये जाने तथा ग्राम पंचायत की बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव रखा गया। सर्व सम्मति से पारित किया गया। जिस पर पट्टा जारी किया गया जो नियमानुसार सारी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही पट्टे में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं की गयी।

हमाने प्रार्थी व अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत निगरानी का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इस निगरानी में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी सं एक झमकू पत्नी गुणेशराम जाट निवासी मोगड़ा खुर्द ने हासिल करने भूमि विक्रय विलेख हेतु आवेदन दिनांक 21.07.2014 को ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक 20.07.14को प्रस्ताव सं 3 में प्रस्ताव रखा कि पुराने कब्जासुद कच्चे/पक्के मकानों के पट्टा हेतु आवेदन पत्र सदन में गये मिसल कायम करने का निर्णय लिया गया अप्रार्थी सं एक श्रीमती झमकू पत्नी गुणेशराम के नाम की ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में मिसल सं 62/20.04.2014 कायम की गयी। मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो की कमेटी का गठन किया गया। मौका निरीक्षण कमेटी ने दिनांक 06.08.2014 मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ग्राम

पंचायत को सुपुर्द की गयी। दिनांक 05.08.2014 को आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस प्रारूप–22 (नियम 148) में जारी किया गया। जिसकी चस्पांगी रिपोर्ट दो मौकाबिरान के हस्ताक्षर है । पट्टा जारी करने से पूर्व दो गवाह के बयान दर्ज किये गये उक्त बयानकर्ता ने अपने बयान में जाहिर किया कि प्रार्थी का पुराना कब्जासुदा मकान मोगड़ा में हैं। प्रार्थी का 30 वर्षों का पुराना कब्जा है अन्य किसी का कब्जा नहीं है।

अप्रार्थीया श्रीमती झमकू को ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां ने प्रारूप–23–क नियम 157 (1) के तहत पट्टा दो सौ रूपये लेकर जारी किया है। नियम 157 (1) निम्न प्रकार है :–

" 157 पुराने गृहों का विनियमतिकरण :– जहाँ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि के पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते है तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्षों से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा संधारित पत्रावली सं 62/20.04.2015 का अवलोकन किया। इस पत्रावली में जो कांट–छांट का आक्षेप है पत्रावली में जहां भी कांट–छांट की गई है, उस कांट–छांट को ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां ने **ALL CUTTING ATTESTED** के हस्ताक्षर है।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थी झमकु देवी पत्नी गुणेशराम जाट निवासी मोगड़ा खुर्द ने हासिल करने भूमि विक्रय विलेख का आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां के समक्ष दिनांक 21.07.2014 को पेश किया। उसमें वर्षों पुराना कब्जा होना लिखा उक्त आवेदन–पत्र कांट–छांट है। आवेदन–पत्र में **CUTTING ATTESTED** के हस्ताक्षर ग्राम सेवक के है जो मान्य नहीं है। अगर कांट–छांट करनी ही तो आवेदनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा संधारित पत्रावली सं 62/2014–2015 में सूची कागजात पृष्ठ में सफेदा लगाकर अप्रार्थी झमकुदेवी पत्नी गुणेशराम जाट लिखा गया है। इसी पत्रावली में आज्ञाओं की सूची 21.07.14 में सफेदा लगाकर झमकूदेवी पत्नी गुणेशराम जाट बाद में लिखा गया है। हस्तलिखित में भी अन्तर है। आज्ञाओं की सूची दिनांक 20.09.14 को यह लिखा गया है कि गवाहों के बयान के आधार पर प्रार्थी का 40 वर्षों से अधिक का कब्जा होना साबित होता है। अतः आबादी भूमि विक्रय नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत राशि 200/– रुपये में भूमि विक्रय का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में लिया गया। राशि जमा होने पर प्रार्थी को पट्टा जारी कर मिसल दफ्तर दाखिल की जावे।

पंचायत निगरानी सं 10/2017

ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा संधारित मिसल सं 62/2014–2015 में संलग्न पृष्ठ में कांट–छांट की गई है। नक्शे में दर्शाये गये पड़ौस तथा क्षेत्रफल बाबत् लम्बाई, चौडाई में कांट–छांट की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिसल किसी अन्य के नाम से बनाई गई थी बाद में कांट–छांट कर अप्रार्थी सं एक का नाम लिख दिया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जा कर ग्राम पंचायत मोगडा कला, पंचायत समिति लूणी द्वारा जारी पट्टा अभिलेख संख्या 98 जो मिसल संख्या 62/2014–15 के द्वारा अप्रार्थी जमकु देवी पत्नी गुणेशराम जाति जाट निवासी–मोगड़ा खुर्द को जारी पट्टा एतद् निरस्त किया जाता है।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर